



साइमन कमीशन बहिष्कार आन्दोलन का सौन्तिक पक्ष

डॉ. कमलकान्त सिंह¹

1 प्राचार्य, इतिहास विभाग, शिवपूजन शास्त्री समता महाविद्यालय, दिनारा (रोहतास), (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा) (बिहार)

ABSTRACT

Keywords:

भारतीय सरकार द्वारा 1919 में सुधार अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें यह भी प्रावधान रखा गया था कि इस अधिनियम के परिणामों का अध्ययन करने के लिए दस वर्ष पश्चात् एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार ऐसे कमीशन की नियुक्ति 1929 ई. में की जानी थी, किन्तु ब्रिटिश सरकार ने अनेक कारणों से प्रेरित होकर कमीशन की नियुक्ति 1927 ई. में ही करने का निर्णय लिया। 1929 ई. में इंग्लैण्ड में आम चुनाव होने वाले थे तथा उसमें मजदूर दल; लेबर पार्टी का विजय का स्पष्ट आभास हो रहा था। तत्कालीन सत्तारूढ़ टोरी सरकार यह नहीं चाहती थी कि इस आयोग की नियुक्ति मजदूर दल के शासन के द्वारा की जाए क्योंकि मजदूर दल की सहानुभूति भारत के साथ थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम का प्रारम्भ से ही भारतीयों द्वारा घोर विरोध किया गया था तथा एक नया कानून पारित किए जाने की मांग प्रबल होती जा रही थी, अतः भारतीयों की इस संवैधानिक सुधारों की मांग को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता था। इस कमीशन के 1927 ई. में ही नियुक्त किए जाने का एक अन्य प्रमुख कारण यह भी था कि सरकार 1926 ई. में भारत में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति से लाभ उठाना चाहती थी। गाँधीजी का प्रभाव भी तब, असहयोग आन्दोलन को अचानक रोकने के कारण, जनता पर कम हो गया था। अतः कमीशन को उस समय यह बहाना मिल सकता था कि साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उचित न था। इसके अलावा, भारत में शनैः शनैः युवक संगठन, व मजदूर संगठन शक्तिशाली होते जा रहे थे जिन पर रूसी क्रान्ति, समाजवादी विचारों एवं वामपन्थी विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव था, अतः सरकार जल्दी ही कमीशन की नियुक्ति करके उपरोक्त संगठनों के विचारों की दिशा में परिवर्तन करना चाहती थी।¹

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नवम्बर, 1927 ई. में 'साइमन कमीशन' की घोषणा की। इस कमीशन का नेतृत्व सर जान साइमन कर रहे थे तथा उन्हीं के नाम से इसे 'साइमन कमीशन' कहा गया। इस कमीशन में सात सदस्य थे जिसमें 3 टोरी दल, 2 उदार दल तथा 2 मजदूर दल के सदस्य थे। इस कमीशन के सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था जिसके कारण भारतीयों ने इसे अपना घोर अपमान समझा। कितना हास्यास्पद व अविवेकपूर्ण निर्णय या ब्रिटिश सरकार का, कि भारतीय समस्याओं पर विचार करने हेतु नियुक्त कमीशन में भारतीय सदस्य ही न हो। इस प्रकार से तो ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ही 'साइमन कमीशन' का विरोध करने के लिए भारतीय जनता को आमन्त्रित कर लिया। भारतीय जनता साइमन कमीशन के उद्देश्यों की भी विरोधी थी क्योंकि इसके द्वारा यह विचार नहीं किया जाना था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना किस प्रकार हो सकती है, वरन् उसे मूल रूप से यह बताना था कि भारतवासी उत्तरवासी शासन की क्षमता रखते हैं अथवा नहीं। अतः इस कमीशन द्वारा भारतीयों की क्षमताओं का निर्णय किया जाना भारतीय अपना अपमान समझते थे। अतः साइमन कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही सम्पूर्ण भारत में इसके विरुद्ध (वातावरण उत्पन्न हो चुका था। भारतीय भारत का भावी संविधान स्वयं ही बनाना चाहते थे, अतः भारतीयों ने इस कमीशन की नियुक्ति को राजनीतिक धूर्तता की संज्ञा दी।

भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के कारण पफूट पड़ गयी, किन्तु जिन्ना व उसके सहयोगियों ने इसका श्रेय मुख्यतया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही दिया। मजदूर किसान दल, कम्युनिस्ट लिबरल पफेडरेशन व हिन्दू महासभा ने भी कमीशन का विरोध किया। केवल कुछ पूंजीपतियों, विशेषकर पंजाब के जमींदारों, बंगाल के भूमिपतियों, अवध के जमींदारों तथा इसी वर्ग के कुछ अन्य व्यक्तियों ने साइमन कमीशन का विरोध न किया। साइमन कमीशन के विरोध में 'बारदोली सत्याग्रह' से भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई।¹

कांग्रेस के दिसम्बर, 1927 ई. के मद्रास अधिवेशन में साइमन-कमीशन के

पूर्ण विरोध का निर्णय लिया गया। अतः 3 फरवरी, 1928 को साइमन जब बम्बई पहुँचा तो उसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से किया गया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने साइमन कमीशन को तुरन्त दिल्ली भेजा किन्तु वहाँ भी उनको काले झण्डे दिखाए गए व 'साइमन कमीशन वापस जाओ' के नारे लगाए गए। केन्द्रीय विधान सभा ने भी साइमन कमीशन को स्वागत करने से इन्कार कर दिया। जहाँ-जहाँ साइमन कमीशन गया, वहाँ-वहाँ उनका विरोध किया गया, अतः सरकार ने कठोर रुख अपनाना प्रारम्भ कर दिया। लाहौर में लाला लाजपतराय के नेतृत्व में निकल रहे जुलूस पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया। लाला लाजपतराय भी घायल हुए जिसके कारण दो सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपतराय ने कहा था, फमेरे उफपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कपफन की कील प्रमाणित होगा। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करने पं० नेहरू, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त भी थे, किन्तु सरकार के इस रुख से भी भारतवासी भयभीत न हुए, बल्कि लखनऊ में ही एक भोज में साइमन कमीशन के सदस्यों को आमन्त्रित किया गया। भोज के समय अचानक सैकड़ों काली पतंगें व गुब्बारे आकाश में उभरे, जिस पर 'भारत भारतवासियों का है', 'साइमन वापस जाओ', 'पउवद हव इंबाद्ध जैसे नारे लिखे थे। कलकत्ता में सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन 3 फरवरी, 1928 से 31 मार्च, 1928 ई. तक भारत में रहा। इस दौरान भारत में जहाँ भी इसके सदस्य गए, उनका विशेष किया गया।

समस्त विरोधों का सामना करने के पश्चात् भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो मई, 1930 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित थे :

- 1° द्वैध शासन की समाप्ति।
- 2° प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना।
- 3° प्रान्तीय गवर्नरों को विशेषाधिकार।
- 4° केन्द्र में संघीय शासन की स्थापना की सम्भावना।
- 5° जातीय प्रतिनिधित्व पूर्ववत्।
- 6° सेना का भारतीयकरण आवश्यक।
- 7° बर्मा को भारत से व सिन्ध को बम्बई प्रान्त के पृथक् करना।

मूल्यांकन

साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर तीव्र प्रतिक्रियाएँ हुईं। कूपलैण्ड आदि कुछ व्यक्तियों ने इसे ब्रिटिश राजनीतिशास्त्र के पुस्तकालय में 'एक अन्य श्रेष्ठ रचना' कहा। इसी प्रकार के विचार रॉबर्ट्स ने भी प्रस्तुत किए। उनके शब्दों में, पयह रिपोर्ट सदैव भारतीय सरकारी पत्रों में एक महत्वपूर्ण पत्रा होगा। किन्तु अधिकांश भारतीयों ने इसकी आलोचना की। भारतीयों का विचार था कि रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को स्वायत्त शासन की ओर ले जाना नहीं वरन् समय को टालना तथा उनके लक्ष्य को दूर करना है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट यद्यपि संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थी, किन्तु जो भी अच्छाइयों इस रिपोर्ट में थीं उन्हें 1935 ई. के अधिनियम में ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व यह भी सुझाव दिया कि विचार-विमर्श के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, अतः इससे यह लाभ अवश्य हुआ कि पारस्परिक विचार-विनियम का मार्ग प्रशस्त हुआ।¹

यद्यपि उपरोक्त कुछ लाभ साइमन से हुए परन्तु भारतीय इतने से सन्तुष्ट न थे क्योंकि उनकी मूल मांगों की ओर इस कमीशन ने कोई ध्यान नहीं दिया था

। इस विषय में एण्ड्रूज ने भी लिखा, फ़इससे अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन, सम्पूर्ण देश में उत्पन्न हुए परिवर्तन और जनता को अभिलाषाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ण उपेक्षा हुई । इसने इस बात को अपने सम्मुख रखा जो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ होने से काफ़ी वर्ष पूर्व था, राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप उदीयमान तरुण भारत का इसमें परिचय नहीं मिलता ।^२ साइमन कमीशन की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि अंग्रेज, भारतीयों को स्वशासन देने के इच्छुक नहीं हैं और इसी कारण उन्होंने भारतीयों के निरन्तर विरोध के पश्चात् भी साम्प्रदायिक चुनाव पति में कोई परिवर्तन न किया । ताराचन्द ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखा, पवह विश्वास करना कठिन है कि आयुक्त लोग इन मामलों से अनभिज्ञ थे । यदि इसको जानते हुए भी वे साम्प्रदायिक निर्वाचन पति से चिपकना चाहते थे तो पिफर परिणाम पर आना ही पड़ता है कि आयोग वास्तव में स्वशासन देना नहीं चाहता था और उसकी इच्छा थी कि ब्रिटेन ही भारत के भाग्य का विधाता बना रहे।⁴

इस प्रकार साइमन कमीशन से भारतीयों को कोई विशेष लाभ न हुआ । यह जरूरी है कि इसकी वजह से भारतीय राजनीतिक दलों के पारस्परिक मतभेद कम हुए तथा असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन में आए गतिरोध का स्थान पुनः एक नवीन जोश, उत्साह व क्रियाशीलता ने ले लिया । कीथ ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा स्वीकार न किया जाना उनकी भूल बताया है । कीथ ने लिखा है, फ़साइमन रिपोर्ट को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना, भारतीय जनमत की मूर्खता थी । यदि रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी होती तो आने वाली योजनाओं से पहले ही प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गयी होती ।

REFERENCES

1. जीम'पउवद ब्वउउपेपवद त्मचतजू पसस 'सूले'जंदक वनज' वदम वीजीम हतमंजमेज विपदकपंद च्वमतमेण च्म त्वइमतजेए भ्जेवतल वी ठतपजपौ प्दकपंए च 598ए
2. दकमत्नेए प्दकपं दक जीम'पउवद ब्वउउपेपवदए च 39
3. डवजपसंस छमीतनए जीम टवपबम विथिममकवउए च 520
4. भजीम संजीप इसवू जीज तम'ीनतसमक वद उमू पसस वदम कलं चतवअम 'ीपसे पद जीम बवोपिद वी जीम ठतपजपौ म्उचपदमए